राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

निगम के आगारों में पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति से चालकों की सर्विस अनुबन्ध पर लेने हेतु बोली आमंत्रण

क्रमांकः–एफ 5/मु0/यांत्रिक/सं.चा.(138)/2023/191 दिनांक 13-03-23

ई–बोली आमंत्रण सूचना संख्या 01/2023–24

निगम अपने आगारों में एक वर्ष की अवधि के लिये सरकार से मान्यता प्राप्त पजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति से 900 चालकों की सर्विस, अनुबन्ध पर लेने हेतु ई–बोली के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में ई–बोली प्रकिया द्वारा ऑन लाईन बोलियॉ आमंत्रित करता है। बोली से संबधित विस्तृत विवरण वेबसाईट http://rsrtc.rajasthan.gov.inव http://eproc.rajasthan.gov.in एवं स्टेट पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखें ।

इस बोली संबंधित विवरण निम्नानुसार हैः–

क. सं.	बोली संबंधित विवरण	दिनांक एवं समय
1	बोली सूचना जारी होने की तिथि	13.03.2023
2.	बोलीदस्तावेज शुल्क (अप्रतिदेय) (वित्तीय सलाहकार R.S.R.T.C JAIPUR को देय)	1000/–रूपये (एक हजार रूपये मात्र)
3	बोली प्रतिभूति(वित्तीय सलाहकार R.S.R.T.C JAIPUR को देय)	24,00,000/–रूपये (अक्षरे चौबीस लाख रूपये मात्र)
4.	बोली प्रोसेसिंग शुल्क (अप्रतिदेय)(M.D.RISL JAIPUR को देय)	2500/–रूपये (दो हजार पांच रूपये मात्र)
5.	बोली दस्तावेज हेतु आवेदन/डाउनलोड करने की अवधि	13.03.23 से 05.04.23 प्रातः 11:00 बजे तक
6.	प्रि–बिड मीटिंगकी दिनांक व समय	21.03.23 प्रातः 11:00 बजे
7.	स्पष्टीकरण/युक्तिका यदि कोई हो, जारी करने की तिथि	28.03.2023
8.	बोली प्रस्तुत/डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक एवं समय	05.04.2023 को 15.00 बजे तक
9.	तकनीकी बोली प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक एवं समय	05.04.2023 को 15:30 बजे तक
10.	वित्तीय बोली प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक एवं समय	तकनीकी बोली के पश्चात निर्धारित किया जायेगा।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
रा. रा. प. प. नि.
मुख्यालय, जयपुर

नोटः—

1. सर्विस अनुबन्ध पर लिये जाने वाले अनुमानित चालकों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है।
2. बोली की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी।
3. बोली खोलने की तिथि को किसी कारणवश कोई अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय बोलीयां खोली जाएंगी।
4. बोली लगाने वाली पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति चालक पूर्णतःसर्विस अनुबन्ध पर लगाने हेतु ई—बोली के माध्यम से बोली प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। अनुबन्ध पर लिये गये चालक निगम के किसी भी आगार में लगाये जा सकते है। आगारों की सूची संलग्न है।
5. बोली दस्तावेज डाउनलोड/आवेदन करते समय बोली दस्तावेज शुल्क 1000/— रूपये, बोली प्रोसेसिंग शुल्क 2500/—रूपये एवं बोली प्रतिभूति घोषणा/बोली प्रतिभूति राशि 24,00,000/—रूपये (अक्षरे चौबीस लाख रूपये मात्र) की डी.डी. संख्या, दिनांक एवं बैंक का नाम व ब्रांच का विवरण अंकित करे।
6. बोली लगाने वाले द्वारा बोली शुल्क/प्रोसेसिंग शुल्क/बोली प्रतिभूति राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट, इस कार्यालय में दिनांक 05.04.2023 को सांय 15:00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है।
7. कोई भी बोलीदाता ऑनलाईन जमा कराने में किसी कारणवश लेट होता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. बोलियों में भाग लेने वाले बोली लगाने वालों को इन्टरनेट साइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत् प्राप्त करना होगा जो ईलेक्ट्रोनिक बोली में साईन करने हेतु काम आयेगा। बोली दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए.(C.C.A.) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। बोली लगाने वाले के पास वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, उनको नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
9. बोली लगाने वाले द्वारा बोली शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर (R.S.R.T.C.JAIPUR) को डी.डी. बोली प्रतिभूति राशि के लिये बैंक गारंटी भी स्वीकार्य है) द्वारा जमा करानी होगी तथा बोली प्रोसेसिंग शुल्क एम.डी., आर.आई.एस.एल. के नाम डी.डी. देय होगी। यदि बोली लगाने वाले द्वारा दिनांक 05.04.2023 को 15.00 बजे तक उक्त डी.डी. प्रस्तुत नहीं की जाती है तो प्रस्ताव मान्य नहीं होगा।
10. बोली लगाने वाले को बोली दस्तावेज ऑनलाईन में उपरोक्त वेबसाईट पर प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाऐंगे।साथ ही तकनीकी बोली प्रस्ताव की हार्ड कॉपी भी संलग्न करनी होगी।
11. इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बोली लगाने वाला यह सुनिश्चित कर लेवेकि बोली प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी बोली प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
12. ऑनलाईन बोलीयां निर्धारित दिनांक एंव समय पर खोली जावेंगी।
13. बोली दस्तावेजों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करावें।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

निगम के आगारों की सूची

क्र. सं.	आगार का नाम	क्र. सं.	आगार का नाम
1	अजमेर	27	सिरोही
2	अजयमेरू	28	बाडमेर
3	ब्यावर	29	फालना
4	भीलवाडा	30	जालौर
5	डीडवाना	31	फलौदी
6	नागौर	32	जैसलमेर
7	अलवर	33	जोधपुर
8	भरतपुर	34	पाली
9	लोहागढ	35	कोटा
10	धौलपुर	36	बूंदी
11	तिजारा	37	झालावाड
12	हिण्डौन	38	बांरा
13	करौली	39	टोंक
14	मत्स्यनगर	40	सवाईमाधोपुर
15	अनूपगढ	41	सीकर
16	बीकानेर	42	श्रीमाधोपुर
17	गंगानगर	43	झुन्झुनू
18	हनुमानगढ	44	चूरू
19	सरदार शहर	45	खेतडी
20	जयपुर	46	उदयपुर
21	वैशालीनगर	47	बांसवाडा
22	विद्याधरनगर	48	चित्तोडगढ
23	दौसा	49	डूंगरपुर
24	शाहपुरा	50	राजसमंद
25	कोटपूतली	51	प्रतापगढ
26	आबूरोड		

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
रा० रा० प० प० निगम,
मुख्यालय, जयपुर

उपरोक्त कार्य हेतु बोली प्रस्तुत करने की निम्न आवश्यक शर्तें है :–

1. सर्विस अनुबन्ध पर लिये जाने वाले चालकों की संख्या निगम की आवश्यकता के अनुसार कम अथवा अधिक हो सकती है।
2. बोली लगाने वाली पजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति को सरकार से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है तथा वाहन चालक उपलब्ध करवाने का 1(एक)वर्ष का अनुभव होने का प्रमाण पत्र व तीन वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि, बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी। संस्था का गत तीन वर्ष का वार्षिक टर्नऑवर औसतन 3 करोड रू. होना चाहिये। यदि बोली लगाने वाला/कम्पनी/संस्था द्वारा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये जाते हैं अथवा प्रदत्त सूचना असत्य और अपूर्ण पाई जाती है तो, इसे अयोग्यता मानते हुए उनके प्रस्ताव को निरस्त/अस्वीकार करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा ।
3. बोली के साथ बोली प्रतिभूति राशि 24,00,000/–रूपये (अक्षरे चौबीस लाख रूपये मात्र) की डी डी./बैंकर्स चैक/बैंक गारंटी के रूप में वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नाम से संलग्न करनी होगी चैक एंव नकद राशि किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगी । यह राशि जमा न होने की दशा में बोली स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। यह राशि प्राप्त बोली पर स्वीकृति हेतु निर्णय होने तक निगम कोष में जमा रहेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा अस्वीकृत बोलीयों की राशि, बोली पर अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त ही बिना ब्याज के लौटायी जावेगी। बैंक गारन्टी की वैधता अवधि चार माह होगी।

4. निगम द्वारा जो प्रस्ताव स्वीकार किये जावेंगे, उन्हे इस आशय की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर–भीतर कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के रूप में 8,000/–रू.(अक्षरे आठ हजार रूपये मात्र) प्रति चालक डी.डी./बैंकर्स चैक/बैंक गांरटी/एफडीआर के रूप में निगम के नाम से बनी हुई होगी तथा संबन्धित आगार कार्यालय में जमा करवाना होगा एंव निगम द्वारा प्रस्तुत अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करके संबन्धित आगार से अनुबन्ध करना होगा। बैंक गांरटी/एफडीआर की वैधता अवधि 15 माह होगी। उक्त राशि निगम कोष में बिना ब्याज जमा रहेगी, जो अनुबन्ध की शर्तो की समुचित पालना के पश्चात् एंव अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर बिना ब्याज के लौटायी जावेगी। यदि बोली लगाने वाला, प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस में निर्धारित कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है एवं निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
5. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति इस सर्विस अनुबन्ध को किसी अन्य दूसरे पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति को या व्यक्ति को न तो किराये पर ही देगा और न ही सबलेट/हस्तान्तरण करेगा।
6. यह अनुबन्ध एक वर्ष तक की अवधि के लिये होगा। एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद/न्यायिक एवं अन्य बकाया नहीं होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से अनुबन्ध को RTPP Act. 2012 & Rules 2013के अनुसार बढाया जा सकेगा।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
रा० रा० प० प० निगम,
मुख्यालय, जयपुर

7. अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने पर पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति का सर्विस अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार निगम को होगा, जिसके लिए नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
8. जिस सफल बोली लगाने वाले के प्रस्ताव को निगम द्वारा स्वीकार किया जावेगा, उसे निगम के साथ स्वंय के खर्चे पर 15 दिवस के भीतर एक सर्विस अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा जिसका प्रारूप संलग्न है।
9. बोली प्रस्ताव ई–बोली के माध्यम से प्रेषित करने होंगे।
10. बोली प्रस्ताव सरल एंव शुद्व भाषा में हो तथा किसी प्रकार की काट–छांट न हो। प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक/पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिये तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर। अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत लिखें, साथ ही प्रमाण भी पेश करें।
11. बोली लगाने वाले द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
12. किसी भी बोली को स्वीकृत करना निगम के लिए बाध्यकारी नहीं है तथा किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार निगम को होगा।
13. यदि किसी संस्थान/व्यक्ति/फर्म के विरूद्ध निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है, तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।
14. मुख्य प्रबन्धक द्वारा चालकों की मांग किये जाने के तीन दिवस में द्वितीय पक्ष को आवश्यकतानुसार चालक उपलब्ध कराने होंगे।चालक उपलब्ध नही कराने की स्थिति में द्वितीय पक्ष से 1000/–(अक्षरे एक हजार रूपये मात्र)प्रति चालक प्रति दिवस द्वितीय पक्ष से शास्ति वसूल की जावेगी।
15. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिको की सहकारी समिति को प्रत्येक माह का देयक अगले माह की 15 तारीख को संबंधित आगार में प्रस्तुत करना होगा।फर्म को आगार द्वारा भुगतान किये जाने के 5 कार्य दिवस में चालकों को भुगतान करना होगा।फर्म द्वारा उक्त निर्धारित समय में चालकों को भुगतान न करने की स्थिति में 1000/–रू(अक्षरे एक हजार रूप्ये मात्र)प्रति चालक प्रति दिन की दर से शास्ति वसूल की जावेगी।
16. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति द्वारा निगम को सर्विस अनुबन्ध पर उपलब्ध कराये जाने वाले चालक को आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसके पास भारी वाहन संचालन करने का तीन वर्ष पुराना लाईसेन्स एवं बैज होना अनिवार्य है। साथ ही भारी वाहन चलाने का तीन वर्ष का अनुभव भी होना आवश्यक है।

17. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले चालकों को चालक कार्य हेतु देय क्षतिपूर्ति/पारिश्रमिक का निगम द्वारा निर्धारित दर रू0 9,000/– पारिश्रमिक एव पीएफ, ईएसआई (जहॉ ईएसआई लागू है), सर्विस चार्ज एवं जीएसटी की राशि, प्रति चालक प्रतिमाह की दर से भुगतान एजेन्सी/पंजीकृत संस्था/ भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति को किया जायेगा। एजेन्सी/पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति द्वारा सम्बन्धित चालकों के खाते में उक्त सम्पूर्ण राशि "As it is" बैंक के माध्यम से स्थानान्तरित करते हुये प्राप्ती रसीद निगम को उपलब्ध करवायेगी।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
रा० रा० प० प० निगम,
मुख्यालय, जयपुर

18. द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालकों के लिये ई0एस0आई0 स्कीम के अनुसार कर्मचारी अंशदान एवं सेवा प्राप्तकर्ता का अंशदान द्वितीय पक्ष के द्वारा ही ई.एस.आई. कार्यालय में जमा कराकर चालान की प्रति निगम के कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी। (आगामी माह का भुगतान चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर ही देय होगा)
19. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति द्वारा आयकर कटौती से मुक्त होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा संस्था के देयक (बिल) से नियमानुसार भुगतान में स्त्रोत पर आयकर एवं अन्य वैधानिक कटौती निगम द्वारा की जावेगी।
20. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये जाने वाले चालक की प्रमाणित फोटो निगम के कार्यालय को पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी ।
21. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालक से उस आगार के किसी भी मार्ग पर वाहन संचालन कराया जा सकता है।
22. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालक द्वारा बस का संचालन, निगम के अधिकारियों द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार करना होगा।
23. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालकों के पास भारी वाहन संचालन का वैध लाईसेंस है, इसका प्रमाणीकरण सहित लाईसेंस की प्रति पजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति, निगम को उपलब्ध करायेगा। पजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति एवं चालक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालक के वैध लाईसेंस होने तथा नवीनीकरण कराने के लिए जिम्मेदार होगा।
24. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालक ना तो कोई यूनियन बना सकते हैं तथा ना ही किसी यूनियन में भाग ले सकते हैं।
25. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालकों की संख्या में कमी/बढोतरी करने का अधिकार होगा, अर्थात् आवश्यकता नहीं होने पर चालक पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति को वापस भेजने एवं आवश्यकता होने पर चालक की मांग करने का अधिकार निगम को होगा।
26. सरकार द्वारा पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति का अनुज्ञा पत्र रद्द किया जाता है या मान्यता पर रोक लगाई जाती है, तो सूचना मिलने पर तुरन्त अनुबन्ध समाप्त कर दिया जावेगा।
27. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति किसी न्यायालय से Insolvent तथा Black-list घोषित किया हुआ पाया जाता है, तो सूचना मिलने पर तुरन्त सर्विस अनुबन्ध समाप्त कर दिया जावेगा तथा कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा नकद/बैंक गारण्टी/एफडीआर को जब्त कर लिया जावेगा।
28. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले चालक पूर्व में निगम सेवा से सेवापृथक अथवा किसी अन्य एजेन्सी के अनुबन्ध बतौर दुर्घटना या अन्य कारणों से निष्कासित किया हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा पाये जाने की स्थिति में तुरन्त अनुबन्ध समाप्त कर दिया जावेगा तथा कार्य सम्पादन प्रति भूति को जब्त कर लिया जावेगा।
29. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति, निगम के एजेन्ट के रूप में कार्य करेगा तथा देय ऐजेंसी सर्विस चार्ज का भुगतान निगम द्वारा पजीकृत संस्था/भूतपूर्व

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
रा० रा० प० प० निगम,
मुख्यालय, जयपुर

सैनिकों की सहकारी समिति को किया जायेगा। इस हेतु पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति द्वारा भुगतान का प्रमाणिक देयक प्रस्तुत किया जायेगा।

30. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति अनुबन्ध समाप्त करना चाहे तो उसे एक माह पूर्व निगम को नोटिस देना होगा।नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

31. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति से किये जाने वाले सर्विस अनुबंध को निगम द्वारा 7 दिवस का नोटिस देकर कभी भी समाप्त किया जा सकेगा।

32. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति की ओर से दिया गया कोई सशर्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा। निगम द्वारा प्रस्तावित शर्तें पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति को मान्य होगी।

33. युद्ध/दंगे/जन विद्रोह/बन्द/हड़ताल/तालाबन्दी/दुर्घटना या निगम के आंतरिक निर्णय के फलस्वरूप निगम वाहनों का संचालन निलम्बन/निरस्त हो जाता है या किया जाता है तो अनुबन्धित फर्म को इस आकस्मिक घटना की एवज में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी **(Force Maejure)** क्लॉज के अन्तर्गत किये गये निर्णयानुसार छूट देनी होगी।

34. यह कि अनुबंध क्रियान्वयन शर्तो एवं विवेचना के सम्बन्ध में दोनो पक्षों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामलें के निपटारे के लिये निम्नानुसार प्रावधान रहेगाः—

DISPUTE RESOLUTION & ARBITRATION:

- **Dispute Resolution:** Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.
- **Arbitration:** If the second party (lessee/contractor etc.) does not wish to take recourse to the dispute resolution mechanism outlines vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/17/781 dated 03.10.2017 referred to above, or if the second party is not satisfied with the decision of the Standing Committee consisted thereunder, then such dispute or difference relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof shall be settled or by a Sole Arbitrator to be appointed by the first party (Rajasthan State Road Transport Corporation) following the qualifications and disqualifications laid down under Section 12 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 as amended.

34.निविदा की शर्तें भी अनुबन्ध का भाग मानी जायेंगी।

35.RTPP Act. 2012 & Rules 2013के प्रावधान लागू होंगे।

37. किसी भी विवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

हस्ताक्षर बोली लगाने वाला
मय मोहर

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
रा० रा० प० प० निगम,
मुख्यालय, जयपुर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) disclose conflict of interest, if any; and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. 'A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; ,or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f.theBidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
रा० रा० प० प० निगम,
मुख्यालय, जयपुर

Annexure B :Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... ,.. in response to their Notice Inviting Bids No .... Dated ....I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. l/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Unionand the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up , not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activitiessuspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications 'to enter into a procurementcontract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or nothave been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is MD, RSRTC
The designation and address of the Second Appellate Authority is Chairman, RSRTC. In case, the Chairman, RSRTC and MD, RSRTC is held by same person then Second Appellate Authority will be BOARD OF DIRECTORS, RSRTC.

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may tile a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisionslimiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellationof a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality .

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (l) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit
verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.
(b) On the date fixed for hearing the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
    (i) hear all the parties to appeal present before him; and
    (ii) peruse or inspect document, relevant records or copies thereof relating to the matter.
(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

ANNEXURE- D

ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT

01. **Correction of arithmetical errors :**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis :

(i) if there is discrepancy between the unit price and the total price that is obtained b y multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

(ii) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

(iii) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bids does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

02. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities :**

(i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. it shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply, if the suppliers fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Suppliers.

03. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of Procurement of Goods) :**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of tenderer with seal

FORM No. 1

(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of........................

Before the... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii). Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number ofaffidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

....

....

....

.... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

....

....

....

Place

Date

Appellant's Signature

अनुबन्ध पत्र (प्रारूप)

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक .... को मुख्य प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम .... आगार, जिसे बाद में प्रथम पक्ष कहा जाएगा, और पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति ...., जिसे बाद में द्वितीय पक्ष कहा जाएगा, के मध्य लिखा जाकर अनुबन्ध किया जा रहा है।जो कि दिनांकः–..............................से..............................तक हेतु प्रभावी होगा।

यह कि प्रथम पक्ष को वाहन संचालन हेतु चालकों की आवश्यकता है, और द्वितीय पक्ष एक पंजीकृत प्लेसमेंट एजेन्सी है, जो राजस्थान सरकार की अनुज्ञा/मान्यता से कुशल चालक उपलब्ध कराती है। इस हेतु प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य निम्नानुसार नियम शर्तों पर यह अनुबन्ध तहरीर किया जाता हैः–

1. सर्विस अनुबन्ध पर लिये जाने वाले अनुमानित चालकों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है।
2. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को अनुबन्ध पर उपलब्ध कराये जाने वाले चालक को आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसके पास भारी वाहन संचालन करने का तीन वर्ष पुराना लाईसेन्स एवं बैज होना अनिवार्य है। साथ ही भारी वाहन चलाने का तीन वर्ष का अनुभव भी होना आवश्यक है।
3. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति इस सर्विस अनुबन्ध को किसी अन्य दूसरे पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति को या व्यक्ति को न तो किराये पर ही देगा और न ही सबलेट/हस्तान्तरण करेगा।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले चालक की आयु कम से कम 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।
5. द्वितीय पक्ष को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में रू0 8000/– (रू0 आठ हजार मात्र) प्रति चालक डी.डी./बैंक गारण्टी अथवा एफ.डी.आर. के रूप में प्रथम पक्ष के नाम से बनी हुई हो, को संबंधित आगार कार्यालय में जमा कराना होगा। इसमें धरोहर राशि का समायोजन हो सकेगा।
6. द्वितीय पक्ष द्वारा भेजे गये चालकों को सरकारी अस्पताल से नेत्र/स्वास्थ्य परीक्षण का चिकित्सकीय प्रमाण–पत्र एवं तीन वर्ष पुराने हैवी लाईसेन्स की प्रति तथा शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रति कार्यभार सम्भालते समय प्रथम पक्ष को प्रस्तुत करनी होगी।
7. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले चालकों का आचरण अच्छा एवं स्वास्थ्य सही होना आवश्यक है।इस हेतु द्वितीय पक्ष उपलब्ध कराये जाने वाले चालकों का Police Verification & Medical Certificate प्रमाण पत्र(01 माह से अधिक पुराना ना हो) प्रथम पक्ष के कार्यालय में भिजवायेगा।
8. आगार में कार्य पर लेने से पूर्व आगार स्तरीय समिति द्वारा ट्रैड टैस्ट लिया जाकर ही बस संचालन हेतु चालक लगाये जावेंगे।
9. द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये जाने वाले चालक की प्रमाणित फोटो प्रथम पक्ष के कार्यालय को द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी ।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
रा० रा० प० प० निगम,
मुख्यालय, जयपुर

10. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले चालकों को देय एजेन्सी चार्जेज का प्रथम पक्ष द्वारा, प्रति चालक निम्नांकित निर्धारित दर से द्वितीय पक्ष को भुगतान किया जावेगाः

निर्धारित मासिक पारिश्रमिक राशि–

क.सं.	मद	राशि (रूपयों में)
1	पारिश्रमिक	9,000/–
2	पीएफ, नियोक्ता का अंशदान (दर 12 प्रतिशत क.सं.1 की राशि पर)	1080/–
3	ईएसआई (जहाँ ईएसआई लागू है), नियोक्ता का अंशदान (दर 4.75 प्रतिशत क.सं.1 की राशि पर)	428/–
4	सर्विस चार्ज (दर .....प्रतिशत क.सं.1 की राशि पर)	....
5	जीएसटी की राशि (दर 18 प्रतिशत क.सं.1 से 4 तक की राशि पर)	....
योग		....

नोटः– जहां ईएसआई लागू नही है, वहां जी.एस.टी की राशि की गणना, उपरोक्त वर्णित ईएसआई की राशि कम करते हुये की जावेगी।

11. द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालकों के लिये भविष्य निधि कानून के अनुसार कर्मचारी अंशदान एवं सेवा प्राप्तकर्ता का अंशदान द्वितीय पक्ष के द्वारा ही भविष्य निधि कार्यालय में जमा कराकर चालान की प्रति, प्रतिमाह निगम के कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी। (आगामी माह का भुगतान चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर ही देय होगा)। पजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति श्रम कानूनों की पालना तथा वैधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिये उत्तरदायी होगी।
12. द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालकों के लिये ई0एस0आई0 स्कीम के अनुसार कर्मचारी अंशदान एवं सेवा प्राप्तकर्ता का अंशदान द्वितीय पक्ष के द्वारा ही ई.एस.आई. कार्यालय में जमा कराकर चालान की प्रति निगम के कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी। (आगामी माह का भुगतान चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर ही देय होगा)
13. द्वितीय पक्ष को निगम द्वारा सर्विस चार्ज पर वस्तु एवं सेवाकर(जी.एस.टी.) 18 प्रतिशत (समय–समय पर सरकार द्वारा जारी दरानुसार) देय होगा। द्वितीय पक्ष के देयक में से उक्त सेवाकर की निगम द्वारा कटौती की जा कर संबन्धित विभाग में निगम द्वारा जमा कराया जायेगा। द्वितीय पक्ष का सेवाकर के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजियन प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
14. द्वितीय पक्ष द्वारा आयकर कटौती से मुक्त होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा संस्था के देयक (बिल) से नियमानुसार भुगतान में स्त्रोत पर आयकर एवं अन्य वैधानिक कटौती की जावेगी।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा चालकों के एजेन्सी चार्जेज का देयक प्रतिमाह 15 तारीख तक दो प्रतियों में प्रथम पक्ष के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। प्रथम पक्ष कार्यालय द्वारा बिल के प्रमाणीकरण पश्चात् भुगतान द्वितीय पक्ष को भेजा जायेगा तथा उपलब्ध कराये गए चालकों को प्रतिमाह का भुगतान द्वितीय पक्ष के द्वारा किया जायेगा।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
रा0 रा0 प0 प0 निगम,
मुख्यालय, जयपुर

16. यह अनुबन्ध एक वर्ष तक की अवधि के लिये होगा। एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद/न्यायिक एवं अन्य बकाया नहीं होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से अनुबन्ध को RTPP Act. 2012 & Rules 2013 के अनुसार मुख्यालय स्तर से बढाया जा सकेगा।
17. किसी भी प्रकार के टैक्स/शुल्क/प्रभार को जमा कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा तथा किसी प्रकार की शास्ति/मुकदमा का दायित्व भी द्वितीय पक्ष का ही होगा।
18. द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालकों को निगम द्वारा निर्धारित वर्दी में ही वाहन संचालन करना होगा। वर्दी उपलब्धता का दायित्व निगम का नहीं होगा। चालक को निगम द्वारा निर्धारित बस स्टैण्ड/यात्री स्टैण्डों पर वाहन को रोकना होगा।
19. द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालक से उस आगार के किसी भी मार्ग पर वाहन संचालन कराया जा सकता है।
20. द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालक द्वारा बस का संचालन, निगम के अधिकारियों द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार करना होगा।
21. द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालकों के अनुपस्थित होने के कारण वाहन संचालन निरस्त रहने पर, संबंधित संस्था से उस मार्ग की लक्ष्य की राशि तथा निगम द्वारा निर्धारित डीजल औसत लक्ष्य से अधिक डीजल खपत करने पर, अधिक खपत किये गये डीजल की राशि की हानि की पूर्ति द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को की जायेगी।
22. मुख्य प्रबन्धक द्वारा चालकों की मांग किये जाने के तीन दिवस में द्वितीय पक्ष को आवश्यकतानुसार चालक उपलब्ध कराने होंगे।चालक उपलब्ध नही कराने की स्थिति में द्वितीय पक्ष से 1000/–(अक्षरे एक हजार रूपये मात्र)प्रति चालक प्रति दिवस द्वितीय पक्ष से शास्ति वसूल की जावेगी।
23. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिको की सहकारी समिति को प्रत्येक माह का देयक अगले माह की 15 तारीख को संबंधित आगार में प्रस्तुत करना होगा।फर्म को आगार द्वारा भुगतान किये जाने के 5 कार्य दिवस में चालकों को भुगतान करना होगा।फर्म द्वारा उक्त निर्धारित समय में चालकों को भुगतान न करने की स्थिति में 1000/–रू(अक्षरे एक हजार रूप्ये मात्र)प्रति चालक प्रति दिन की दर से शास्ति वसूल की जावेगी।
24. द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालक के द्वारा निगम के द्वारा निर्धारित मार्ग पर वाहन संचालन हेतु वाहन ले जाने के पश्चात् एवं कार्यशाला में वाहन जमा कराने तक वाहन की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष एवं चालक की होगी तथा वाहन में इस दौरान होने वाली टूट–फूट व कोई सामान गायब होने की स्थिति में हानि की पूर्ति द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को की जायेगी।
25. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले चालक से वाहन दुर्घटना होने पर चालक के पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण वाहन को थाने से रिलीज कराने में देरी होने की वजह से निगम संचालन बाधित होने के कारण प्रथम पक्ष को होने वाली क्षति राशि द्वितीय पक्ष से वसूल करने का प्रथम पक्ष/आवंटित आगार को अधिकार होगा।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
रा० रा० प० निगम,
मुख्यालय, जयपुर

26. द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालकों के पास भारी वाहन संचालन का वैध लाईसेंस है, इसका प्रमाणीकरण सहित लाईसेंस की प्रति द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को उपलब्ध करायेगा। द्वितीय पक्ष एवं चालक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालक के वैध लाईसेंस होने तथा नवीनीकरण कराने के लिए जिम्मेदार होगा। लाईसेंस के आधार पर पुलिस चालान या परिवहन विभाग द्वारा वसूल की जाने वाली राशि की क्षति पूर्ति प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी।
27. द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालक को अपना सद्व्यवहार निगम नियमों के अंतर्गत रखना होगा तथा अनुशासनहीनता बरतने, वाहन संचालन के दौरान शराब का सेवन करने, धूम्रपान करने, यात्रियों से अभद्र व्यवहार करने या उसका कार्य सन्तोषजनक नही होने पर उस माह के एजेन्सी चार्जेज का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा चालक द्वितीय पक्ष को लौटा दिया जावेगा तथा द्वितीय पक्ष द्वारा उसके एवज में दूसरा चालक उपलब्ध कराया जायेगा।
28. द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालक ना तो कोई यूनियन बना सकते हैं तथा नाही किसी यूनियन में भाग ले सकते हैं। ऐसा करते पाये जाने पर प्रथम पक्ष को उसका अनुबन्ध तुरन्त समाप्त करने का अधिकार होगा।
29. द्वितीय पक्ष द्वारा भेजे गये चालक के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के कोई वैधानिक दायित्व उत्पन्न होंगे तो उसकी बाध्यता पूर्णतया द्वितीय पक्ष पर होगी। चालक पद की ड्यूटी के समय किसी चालक की असामायिक मृत्यु या दुर्घटना हो जाती है तो उसके सम्बन्ध में सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी ।
30. प्रथम पक्ष को, द्वितीय पक्ष के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये चालकों की संख्या में कमी/बढोतरी करने का अधिकार होगा, अर्थात् आवश्यकता नहीं होने पर चालक द्वितीय पक्ष को वापस भेजने एवं आवश्यकता होने पर चालक की मांग करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
31. राजस्थान सरकार द्वारा द्वितीय पक्ष का अनुज्ञा पत्र रद्द किया जाता है या मान्यता पर रोक लगाई जाती है, तो सूचना मिलने पर तुरन्त अनुबन्ध समाप्त कर दिया जावेगा।
32. द्वितीय पक्ष किसी न्यायालय से Insolvent तथा Black-list घोषित किया हुआ पाया जाता है, तो सूचना मिलने पर तुरन्त अनुबन्ध समाप्त कर दिया जावेगा तथा सुरक्षा राशि के रूप में जमा नकद/बैंक गारण्टी/एफडीआर को जब्त कर लिया जावेगा।
33. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले चालक पूर्व में निगम सेवा से सेवापृथक, अनिवार्य सेवानिवृत अथवा किसी अन्य एजेन्सी के अनुबन्ध बतौर दुर्घटना या अन्य कारणों से निष्कासित किया हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा पाये जाने की स्थिति में तुरन्त अनुबन्ध समाप्त कर दिया जावेगा तथा सुरक्षा राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
34. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के एजेन्ट के रूप में कार्य करेगा तथा चालकों की लागत, देय राशि का पुनर्भरण प्रथम पक्ष द्वारा, द्वितीय पक्ष को किया जायेगा। इस हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा भुगतान का प्रामाणिक देयक प्रस्तुत किया जायेगा।
35. द्वितीय पक्ष द्वारा सेवा प्राप्तकर्ता प्रथम पक्ष को प्रदत्त सेवा पर, द्वितीय पक्ष का कोई स्वत्वाधिकार नहीं होगा।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

36. द्वितीय पक्ष अनुबन्ध समाप्त करना चाहे तो उसे एक माह पूर्व प्रथम पक्ष को नोटिस देना होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
37. द्वितीय पक्ष से किये जाने वाले अनुबंध को प्रथम पक्ष द्वारा 7 दिवस का नोटिस देकर कभी भी समाप्त किया जा सकेगा।
38. द्वितीय पक्ष की ओर से कोई सशर्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा। निगम द्वारा प्रस्तावित शर्तें द्वितीय पक्ष को मान्य होगी।
39. युद्ध/दंगे/जन विद्रोह/बन्द/हड़ताल/तालाबन्दी/दुर्घटना या निगम के आंतरिक निर्णय के फलस्वरूप निगम वाहनों का संचालन निलम्बन/निरस्त हो जाता है या किया जाता है तो अनुबन्धित फर्म को इस आकस्मिक घटना की एवज में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी **(Force Maejure)** क्लॉज के अन्तर्गत किये गये निर्णयानुसार छूट देनी होगी।
40. यह कि अनुबंध क्रियान्वयन शर्तो एवं विवेचना के सम्बन्ध में दोनो पक्षों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामलें के निपटारे के लिये निम्नानुसार प्रावधान रहेगाः–

DISPUTE RESOLUTION & ARBITRATION:

- Dispute Resolution: Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.

- Arbitration: If the second party (lessee/contractor etc.) does not wish to take recourse to the dispute resolution mechanism outlines vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/17/781 dated 03.10.2017 referred to above, or if the second party is not satisfied with the decision of the Standing Committee consisted thereunder, then such dispute or difference relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof shall be settled or by a Sole Arbitrator to be appointed by the first party (Rajasthan State Road Transport Corporation) following the qualifications and disqualifications laid down under Section 12 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 as amended.

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
रा० रा० प० प० निगम,
मुख्यालय, जयपुर

41. RTPP Act. 2012 & Rules 2013 के प्रावधान लागू होंगे।
42. समस्त बोली शर्तें उक्त अनुबन्ध पत्र का भाग होंगी।
43. किसी भी विवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
44. यह अनुबन्ध एक वर्ष तक की अवधि के लिये होगा।

उक्त समस्त शर्तें एवं हिदायतें मुझे/हमें स्वीकार हैं।

दिनांक–

पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की
सहकारी समिति प्रमुख के हस्ताक्षर
मय रबर मोहर एवं पता
संस्था का पंजीयन क्रमांक–
(द्वितीय पक्ष)

मुख्य प्रबन्धक,
रा0प0निगम......................आगार

(प्रथम पक्ष)

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
रा० प० प० निगम,
मुख्यालय, जयपुर

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर

सरकार से पजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति से चालक अनुबन्ध पर लेने हेतु ई–बोली प्रपत्र

ई–वित्तीय बोली – प्रपत्र

बोली प्रपत्र संख्याः– एफ 5( )/मु0/यांत्रिक/सं.चा.(138)/2023/ दिनांक

1. बोली दस्तावेज शुल्क की राशि जमाः–रूपये 1000/– (अक्षरेः– एक हजार रूपये मात्रं)
डी.डी. सं0---------दिनांक------

2. फर्म/पजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकोंकी

सहकारी समिति का नाम व पूरा पता--------------------------------
----

3. टेलीफोन नम्बर/मो0 कार्यालय----------------निवास ----------------

4. बोली प्रतिभूति राशी/बोली प्रतिभूति घोषणा :–रूपये 24,00,000/–रू0अक्षरे चौबीस लाख रूपये मात्र

5. ड्राफ्ट/बैंकर्स चैंक संख्या व दिनांकः----------------------------

6. देय सर्विस चार्जेज प्रति चालक प्रतिमाह :–रूपये---------(अक्षरे)----------

7. फर्म/पजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की

सहकारी समिति का अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन नं ----------------

45. बोली दाता की चल/अचल संपत्ति का विवरण सत्य प्रति सहित संलग्न करें।

46. पेन(PAN) नंबरः–

47. जी.एस.टी. नंबरः–

हस्ताक्षर–बोलीदाता
पूरा नाम ----------------
मय पद/हैसियत व मोहर सहित

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
रा० रा० प० प० निगम,
मुख्यालय, जयपुर

तकनीकी बोली आवेदन पत्र

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,
मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर।

विषयः– चालक अनुबन्ध पर लेने हेतु बोली आमन्त्रण।

श्रीमान,

बोली आमन्त्रण दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के बाद हम सभी आवश्यक सूचनाऐं एवं सम्बन्धित प्रपत्रो की लागत, फीस एवं बोली प्रतिभूति चालक अनुबन्ध पर लगाने हेतु तकनीकी बोली की अर्हता हेतु प्रस्तुत कर रहे है।

1. निगम के किसी भी आगार में चालक लगाने हेतु।
2. निगम के द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार किसी भी आगार के लिए कितनी भी संख्या में चालक अनुबन्ध पर लिए जा सकते है।
3. हम उक्त कार्य/सेवा/अनुबन्ध हेतु अपनी तकनीकी बोली प्रस्तुत कर रहे है। हम यह भी जानते है कि निगम के पास बिना कोई कारण बताये किसी भी आवेदन पत्र को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
4. चालक उपलब्ध करवाने हेतु संस्था सरकार से मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्रमाण पत्र एवं अनुज्ञा प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न है।
5. जी.एस.टी. पंजियन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।
6. पेन कार्ड की प्रति संलग्न है।
7. निम्न विवरणानुसार डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न हैः–

क्र. सं.	विवरण	राशि	डी.डी./बी.जी. क्रमांक एवं दिनांक	बैंक का नाम मय ब्रांच
1	बोली दस्तावेज लागत	1000/–		
2	बोली प्रोसेसिंग फीस	2500/–		
3	बोली प्रतिभूति राशि	24,00,000/–		

8. हम यह भी घोषित करते है कि हमारे द्वारा उक्त बोली दस्तावेजो के विवरण, नोट्स, शर्ते एवं अनुबन्ध पत्र के प्रारूप आदि सभी का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है एवं इनकी पालना करने हेतु कृत संकल्प है।

दिनांकः–

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर
मय मोहर

संलग्नः–1. लिफाफे पर तकनीकी बोली दस्तावेज एवं मान्यता/अनुज्ञा प्रमाण पत्र लिखा जावें। बोली दस्तावेज एवं मान्यता/अनुज्ञा प्रमाण पत्र एवं सेवाकर पंजियन प्रमाण पत्र की प्रति मय सम्बन्धित शर्ते, अनुबन्ध पत्र शिडयूल ''ए'' एवं एनेक्जर ए से सी प्रत्येक पेज पर बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर सहित। बोली दस्तावेज लागत एवं बोली प्रोसेसिंग फीस के डिमान्ड ड्राफ्ट इस लिफाफे में रखें।

2. लिफाफे पर ई वित्तीय बोली एवं दरो की अनुसूची (बीओक्यू) लिखा हो ई वित्तीय बोली प्रपत्र एवं दरो की अनुसूची (बीओक्यू) पर बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर सहित इस लिफाफे में रखें।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
रा० प० प० निगम,
मुख्यालय, जयपुर

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION
PARIVAHAN MARG, CHOMU HOUSE,

तकनीकी बोली प्रपत्र

क्र.सं.	सम्बन्धित सूचना	विवरण
1.	बोलीदाता का नाम व पता	
2.	बोली दाता का ई मेल पता एवं फोन नं0 / मोबाईल नं0	
3.	बोली दाता का स्थानीय कार्यालय	
4.	बोली दस्तावेज शुल्क 1000/- रूपये	
5.	बोली प्रोसेसिंग शुल्क 2500/-रूपये	
6.	बोली प्रतिभूति राशि/बोली प्रतिभूति घोषणा पत्र 24,00,000/- रूपये	
7.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 में रजि0 न0	
8.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में रजि0 न0	
9.	वस्तु एवं सेवा कर (GST) नं0	
10.	आय कर (पैन नंबर)	
11.	सरकार से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रति	
12.	अनुभव प्रमाण पत्र(गत 3 वित्तिय वर्षों में किसी फर्म को न्यूनतम 100 चालक उपलब्ध कराने के आदेशों की प्रति)	
13.	न्यूनतम टर्नऑवर गत 3 वित्तिय वर्षों में औसत 3 करोड़ रूपये (चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा ऑडिटेड विवरण पत्र/बैंलेंस शीट)	

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय
मोहर
पूर्ण पता –

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
रा0 रा0 प0 प0 निगम,
...लय, जयपुर